संख्या-12/2016/986/49-1-2016-59(मिस)/14टीसी-।

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,उ0प्र0
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 05 अक्टूबर, 2016

विषय- उ0प्र0 के 08 जिला सहकारी बैंको में श्रेणी-4 के रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-280/अधि0-9/वर्ग-4 भर्ती/2016 दिनांक 02 मई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 के 07 जिला सहकारी बैंकों में श्रेणी-4 के निम्नलिखति विवरण के अनुसार 157 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति तथा जिला सहकारी बैंक मऊ में श्रेणी-4 के रिक्त 14 पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15 मार्च, 2012, जिसमें भर्तियों पर रोक लगायी गयी है, से छूट इस शर्त के साथ् प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पदों पर नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप आने वाले व्ययभार को संबंधित संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय-भार वहन नही किया जायेगा।

क्रमांक	जिला सहकारी बैंक का नाम	वर्ग-4 के रिक्त पदों की संख्या
1-	लखनऊ	18
2-	रायबरेली	28
3-	कानपुर	36
4-	फतेहगढ़	11
5-	बाराबंकी	22
6-	उन्नाव	20
7-	अलीगढ़	22
	योग	157

4- कृपया तदनुसार प्रकरण में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2016/986(1)/49-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव/महाप्रबन्धक, संबंधित जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश।
2- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/कार्मिक अनुभाग-2
3- सहकारिता अनुभाग-2

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।